

नम्बर
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
धनेश्वर ५९ जमानाथ
उप अपील ॥१४
नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

31/7/2024 पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान्
सुनी गर्द। वास्ते छोडेश पत्रावली दिमांड।
8/8/2024 को पेश की।

8/8/24

पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान की बहस दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि का नामान्तकरण संख्या 1843 दिनांक 22.12.2015 रेस्पोंडेन्ट नन्दकिशोर पिता कल्ला के नाम रेस्पोंडेन्ट क्रम संख्या 4 के 1/5 हिस्सा रिलीज डीड के आधार पर दर्ज करने से असन्तुष्ट होकर उक्त अपील पेश की है। विवादित भूमि अपीलांट के नामा काल्या आ० घासी के खातेदारी में थी। जिनकी मृत्यु उपरांत नामान्तकरण संख्या 1349 दिनांक 19.01.2010 में दर्ज किया गया, जिसमें अपीलांट का नाम दर्ज नहीं होने से उक्त नामान्तकरण की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी में विचाराधीन है। उक्त नामान्तकरण शुरु से शून्य प्रभावी होने से समयावधि से बाधित नहीं है। हमारा घोषणा का दावा भी विचाराधीन है। अपीलान्ट की ओर से अपने समर्थन में विनिर्णय 1992 आर०आर०डी० पेज नम्बर 17, 1998 आर०आर०डी० पेज नम्बर 319, 1998 आर०आर०डी० पेज नम्बर 370, 1998 आर०आर०डी० पेज नम्बर 368, 2002(9) आर०बी०जे० पेज नम्बर 381 व 2020(1)डी०एन०जे०(राज०)पेज नम्बर 121 पेश किये है।

वकील अपीलांट के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील रेस्पोंडेन्ट ने कथन किया कि काल्या की मृत्यु वर्ष 2008 में हो गई है। अपीलांट की माता गीताबाई की मृत्यु काल्या की मृत्यु से 30 वर्ष पूर्व हो गई थी। गीताबाई द्वारा अपने जीवनकाल में पैसे लेकर अपना हक छोड दिया था। काल्या की मृत्यु के बाद दर्ज विरासत नामान्तकरण को निरस्त किए बिन अपील में विचाराधीन नामान्तकरण पर प्रश्न नहीं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अज अदालत


उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

हिण्डोली

किस्म मुकदमा.....नं.....

| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी |
|-------------|---|---------------------------------|
| | <p>लगाया जा सकता है। यह नामान्तकरण रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर दर्ज हुआ है। रजिस्टर्ड हक त्याग बाबत सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इन्होंने दिनांक 22.12.2015 को दर्ज नामान्तकरण से सम्बन्धित रजिस्टर्ड त्याग पत्र को निरस्त कराने हेतु दिनांक 01.08.2015 को दावा पेश किया है एवं दिनांक 23.02.2016 को अपील पेश की है। देरी का कारण नहीं बताया है। अपील में मियाद का प्रश्न अपील के निर्णय से पूर्व तय किया जावे। अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर कोई तर्क नहीं दिया है।</p> <p>वकील रेस्पोंडेंट के उक्त तथ्यों के खण्डन में अपीलांट ने कथन किया कि धारा 5 को तय करने के बाद अपील तय करने में कोई आपत्ति नहीं है। इनके द्वारा जो विनिर्णय पेश किए गए हैं। वह वाद पर लागू होते हैं। नामान्तकरण के संबंध में कोई नजीर पेश नहीं की है। उक्त अपील पेश करने में बहुत कम विलम्ब हुआ है। न्यायहित में देरी की उपेक्षा की जानी चाहिए। सिविल न्यायालय में पेश किया गया दावा रजिस्टर्ड हक त्याग को निरस्त कराने के लिए है न कि नामान्तकरण के लिए है।</p> <p>प्रकरण में उपरोक्त तर्कों पर विवेचन के उपरान्त न्यायालय धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से सहमत है कि नामान्तकरण अपील दर्ज करने में बहुत कम देरी हुई है, विवादित नामान्तकरण दिनांक 22.12.2015 को दर्ज किया गया है जिसकी अपील दिनांक 23.02.2016 को दायर की है, जो कि लगभग 2 माह में पेश की गई है। अर्थात् केवल 30 दिन के विलम्ब से अपील पेश की गई है जो कि नामान्तकरण की जानकारी नहीं होने से स्वभाविक व उचित प्रतीत होता है। अतः मियाद के बिन्दु पर उक्त विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाकर</p> | |


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अपील अपीलांट सुने जाने योग्य प्रतीत होती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विनिर्णय भी अपील पर चस्पा होते हैं। विवादित नामान्तकरण संख्या 1849 दिनांक 22.12.2015 ग्राम रानीपुरा से सम्बन्धित विवादित भूमि बाबत पूर्व में नामान्तकरण संख्या दिनांक 1349 दिनांक 19.01.2010 जो कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी में विचाराधीन है व साथ ही विवादित भूमि बाबत घोषणा का दावा भी विचाराधीन है। उक्त दोनों प्रकरणों में निर्णय के अधीन उक्त नामान्तकरण अपील को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तकरण संख्या 1849 दिनांक 22.12.2015 ग्राम रानीपुरा इस आदेश के साथ निरस्त किया जाता है कि यदि पूर्व नामान्तकरण संख्या 1349 में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलांट के पक्ष नामान्तकरण तस्दीक किया जाता है अथवा हको के दावे में अपीलांट के पक्ष में हको की घोषणा की जाती है तो स्वतः ही रजिस्टर्ड हक त्याग में अपीलांट के हक तक, हक त्याग शून्य माना जावेगा एवं उक्तानुसार ही पुनः नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार दबलाना को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी
द्विण्डोली